

Press Note

गत दिनांक 03/08/2018 के दिन श्री राकेश गोयल, (Authorised Signatory of Wellknown Polyesters LTD. Daman) ने फरीयाद दी की उनकी कंपनीमे केतन डाह्याभाई पटेलने जून-2017 से रूपीया 2,00,000/- खंडनी ले रहा है और उनको खंडनी का पैसा नही दीया तो उन्होने धमकी दी की तुम्हारी कंपनीमे पानी सप्लाई बंद कर दूंगा, और तुम्हारी कंपनीमे ट्रांसपोर्ट वाहन आना बंद कर दूंगा, जिस तरीके की फरीयाद के आधार पे नानी दमन पो. स्टे. मे U/S. 386 r/w 34 IPC के तहत गुन्हा रजीस्टर किया गया और आगे की तफ़्तीस चालू है।

तफतीश के दौरान मालूम हुवा की केतन पटेल एक सफ़ेद कलरकी स्कोर्पीयों गाड़ी जिनका नंबर DD -03-J-1295 है जिनके आगे व पीछे के काच पे MINISTRY OF HOME AFFAIRS, के फरजी स्टीकर लगाकर मुंबई आने जाने के स्कोर्पीयों गाड़ीका प्रयोग करता है जिनके आधार पे **नानी दमन पो. स्टे. मे U/S. 468, 471 IPC, व official secret Act, 1923 के section 6(1)(c)(e) के तहत गुन्हा रजीस्टर किया गया।**

अपराध की गंभीरता को ध्यान मे लेते हुए महोदय DIGP दमन-दीव & दादरा नगर हवेली श्री ब्रजेश कुमार सिंह, SP दमन डॉ श्री विक्रमजीत सिंह, एवं SDPO दमन श्री रवीन्द्रकुमार के मार्गदर्शन मे नानी दमन पोलिस स्टेशन SHO श्री पंकेश टंडेल के नेतृत्व मे अलग अलग टिम केतन पटेल की छान-बीन कर रही थी जिसमे टेकनीकल एनालीस के आधार पे मालूम हुआ की केतन पटेल मुंबई मे है जिनके आधार पर एक टीम तुरंत मुंबई के लिए रवाना हुयी और केतन पटेल को मुंबई हाईकोर्ट के पास से धरपकड़ करके मुंबई से दमन पो. स्टे लाया गया और उनकी पूछताछ के बाद उनकी गीरफ्तारी की गई और आगे की तफ़्तीस चालू रखी गई हे ।

**ISSUED BY
DAMAN POLICE**